प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल भूमि 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 1903/111(2)/115–5 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20/03/2015 के द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 42.46 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 3.00 कि0मी0 आती है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग नौटी–पेठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 22 से प्रारम्भ हो कर गैरोली गॉव तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम–कनोठ एवं गैरोली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1–नाप भूमि 1.800 कि0मी0 x 7 मी0	=	1.260 हे0
2–वन पंचायत भूमि 1.200 कि0मी0 x 7मी0	=	0.840 हे0
3–मक डिस्पोजल हेतु	=	0.020 हे0
योग	=	2.120 हे0

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर